मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-18.05.2017 को अपराह्न 4.30 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **जल संसाधन विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं शिक्षा विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

2. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा किया गया, जो निम्न हैं:-

CWJC

विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	643	3	640
पंचायती राज विभाग	310	4	306
ग्रामीण विकास विभाग	163	3	158
परिवहन विभाग	90	3	87
पर्यावरण एवं वन विभाग	205	13	191

MJC (अवमाननावाद)

विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	35	0	35
ग्रामीण विकास विभाग	12	0	12
पंचायती राज विभाग	16	1	15
ग्रामीण कार्य विभाग	14	2	12
पथ निर्माण विभाग	14	2	12

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया। साथ ही, इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विगत एव वर्ष के आंकड़ों की समीक्षा कर यह देखा जाय कि किन-किन विभागों के द्वारा निरंतर प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने में असंतोषजनक प्रदर्शन किया गया। संबंधित विभागों

से मुख्य सचिव के स्तर से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि किन कारणों से सम्बन्धित विभागों/विभाग के द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने में निरंतर असंतोषजनक प्रदर्शन किया जा रहा है।

3. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गत माह के प्रदर्शन पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा CWJC के लंबित 643 मामलों में से मात्र 3 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। MJC के लंबित 35 मामलों में से एक भी मामलें में कारणपृच्छा संबंधित विभाग द्वारा दायर नहीं किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रदर्शन विगत दो वर्षों से निरंतर असंतोषजनक पाया जाता रहा है। संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया कि वे लंबित मामलों की मासिक समीक्षा करते हुए अधीनस्थ कार्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दे, ताकि लंबित मामलों की संख्या में शीघ्रताशीघ्र कमी लायी जा सके।

4. परिवहन विभाग द्वारा गत माह CWJC के 90 लंबित मामलों में से मात्र 3 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। संबंधित विभाग द्वारा इस संबंध में बताया गया कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की संख्या कम है। अधीनस्थ कार्यालय में लंबित मामलों में विभाग की तरफ से तथ्य विवरणी दायर कर दिया गया है, परन्तु संबंधित अधिवक्ता के द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया कि विभाग अपने स्तर से इसकी समीक्षा कर यथाशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें साथ ही, इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि वैसे सरकारी अधिवक्ता जो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहें हैं, उसके संबंध में विभागीय स्तर से सूचना उपलब्ध करायी जाय, ताकि उन अधिवक्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

5. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1488 मामले), स्वास्थ्य विभाग (729 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (640 मामले) नगर विकास एवं आवास विभाग (422 मामले) एवं समाज कल्याण विभाग (344 मामले)** के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (141 मामले), नगर विकास एवं आवास विभाग (69 मामले) स्वास्थ्य विभाग (20 मामले), पंचायती राज विभाग (15 मामले) एवं कृषि विभाग (14 मामले)** के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

6. विशेष सचिव, विधि विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त समीक्षात्मक बैठक हेतु **सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग एवं निर्वाचन विभाग** द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को बैठक हेतु ससमय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

7. विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार के अनुरोध पर मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अभियोजन स्वीकृति के मामलों में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत यथाशीघ्र कार्रवाई करने का प्रयास किया जाय। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई के विभिन्न चरणों यथा निगरानी विभाग, संबंधित प्रशासी विभाग एवं विधि विभाग के लिए अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई हेतु अवधि निर्धारित करते हुए निर्देश दिया गया कि अभियोजन स्वीकृति से संबंधित मामलों में निगरानी विभाग के स्तर से अधिकतम 20 दिन, संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से अधिकतम 20 दिन एवं विधि विभाग (मुख्यमंत्री सचिवालय सहित) के स्तर से अधिकतम 20 दिनों के अन्दर ही कार्रवाई समाप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को उक्त मामले को संपादित करने वाले पदाधिकारियों, कर्मचारियों को तदनुसार निर्देश देने का अनुरोध किया गया। विधि विभाग को मुख्य सचिव, बिहार द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे विभाग जो अभियोजन स्वीकृति के मामले अपने पास 20 दिनों से अधिक लंबित रखने के पश्चात् विधि विभाग को अग्रसारित करते है, उस विभाग के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार के संज्ञान में बात लायी जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

31/5/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/3001**जे0 पटना, दिनांक-**31-05-17

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/17

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।
31/05
31-05-17